रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 549] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 6, 1989/भाद्र 15, 1911
No. 549] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPT. 6, 1989/BHADRA 15, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1989

का.आ. 698 (अ):—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा के खण्ड (IV) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

1 के अनुभाग 5 के अधीन मकान किराया भत्ता के संबंध में, सारणी 3 के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी–3

(मकान किराया भत्ता की दर (वेतन का प्रतिशत)

समाचारपत्र स्थापन की वर्ग	20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले नगर, कस्बे	10 से 20 लाख के बीच की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	10 लाख से कम की जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
1	2	3	4
Ia	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
I	11	10	9
V	10	9	8
I	9	8	7
II	8	7	6
III	7	6	5
IX	6	5	4

टिप्पण :— ऊपर वर्णित मकान किराया भत्ते की दर, किसी भी नगर में समाचारपत्र स्थापन के किसी वर्ग के अधीन कर्मचारियों के किसी समूह के लिए 1200 रुपए के अधिकतम के अधीन रहते हुए होगी।

(ii) अध्याय 9 के अधीन भाग 1 के अनुभाग 5 के अधीन नगर प्रतिकारात्मक भत्ता के संबंध में सारणी IV के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

सारणी–4

नगर प्रतिकारात्मक भत्ता

(दर प्रतिमास)

स्थापन का वर्ग	20 लाख या उससे अधिक संख्या वाले नगर/कस्बे	10 से 20 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर/कस्बे	4 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर/कस्बे
1	2	3	4
	रु.	रु.	रु.
Ia	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	50	30	20
IX	40	30	20

1 जनवरी, 1988 से आगे की अवधि के लिए पहले से दिया गया मकान किराया भत्ता प्रस्तावित उपांतरणों के अधीन जब वे अंतिम रूप से अधिसूचित कर दिए जाएं, अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता के मद्दे समायोजित किया जाएगा।

[सं. एस. 33014/1/89-डब्ल्यू. बी.]

MINISTRY OF LABOUR

NOTICE UNDER WORKING JOURNALISTS AND OTHER NEWSPAPER EMPLOYEES (CONDITIONS OF SERVICE) AND MISCELLANEOUS PROVISIONS ACT, 1955 TO NEWSPAPER ESTABLISHMENT EMPLOYEES AND THEIR WORKING JOURNALISTS AND NON-JOURNALIST EMPLOYEES.

New Delhi, the 31st August, 1989

S.O. 684 (E):—Whereas the Central Government by the notifications of the Government of India in the Ministry of Labour Nos. S.O. 527(E) and S. O. 528(E), both dated the 17th July, 1985 constituted two wage boards under section 9 and section 13C of the Working Journalists and other Newspaper Employees (Conditions of Service) and Miscellaneous Provisions Act, 1955 (45 of 1955) under the Chairmanship of Justice Shri U. N. Bhachawat, a retired Judge of the Madhya Pradesh High Court for fixing or revising the rates of wages of working journalists and non-journalist newspaper employees;

And whereas, the said Boards have made their recommendations;

And whereas, the Central Government proposes to make certain modifications to the said recommendations, which in its opinion affect important alterations in the character of the said recommendations;

Now therefore, in pursuance of the proviso to clause (a) of sub-section (2) of section 12 of the said Act notice is hereby given to all persons

likely to be affected by the following modifications to make their representations in writing within a period of thirty days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public to :

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour,
Shram Shakti Bhavan,
New Delhi.

Proposed modifications :

(i) For Table III, in relation to the House Rent Allowance under section V of Part I under Chapter IX of the recommendations of the Boards for Working Journalists and Non-Journalist Newspaper Employees, the following Table shall be substituted namely :—

TABLE III

Rates of House Rent Allowance

(Percentage of Pay)

Class of Newspaper Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs	Cities/ Towns with population of less than 10 lakhs.
IA	15	14	13
I	14	13	12
II	13	12	11
III	12	11	10
IV	11	10	9
V	10	9	8
VI	9	8	7
VII	8	7	6
VIII	7	6	5
IX	6	5	4

Note :— The rates of House Rent Allowance mentioned above are subject to a maximum of Rs. 1200/- for any group of employees under any class of newspaper establishment in any city.

(ii) For Table IV in relation to City Compensatory Allowance under Section V of Part I under Chapter IX, the following table shall be substituted, namely:—

TABLE IV

CITY COMPENSATORY ALLOWANCE

(Rates per mensum)

Class of Establishment	Cities/ Towns with population of 20 lakhs and above.	Cities/ Towns with population between 10 to 20 lakhs.	Cities/ Towns with population of 4 lakhs or more.
	Rs.	Rs.	Rs.
IA	100	75	20
I	75	50	20
II	60	35	20
III	50	30	20
IV	45	30	20
V	40	30	20
VI	40	30	20
VII	40	30	20
VIII	40	30	20
IX	40	30	20

The House Rent Allowance already paid for the period commencing on the 1st day of January, 1988 onwards shall be adjusted against the House Rent Allowance admissible under the proposed modifications as and when finally notified.

[No. S—33014/1/89-W.B.]

श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 के अधीन समाचार-एजेंसी नियोजकों और उनके श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार कर्मचारियों को नोटिस।

का.आ. 685(अ):—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 527(अ) और का.आ. 528 (अ), जो दोनों तारीख 17 जुलाई, 1985 की हैं, श्रम जीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध, अधिनियम, 1955 (1955 का 45) की धारा 9 और धारा 13ग के अधीन श्रम जीवी पत्रकारों और गैर-पत्रकार समाचार एजेंसी कर्मचारियों की मजदूरी-दरें निर्धारित या पुनरीक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री यू. एन. बछावत की अध्यक्षता में दो मजदूरी बोर्डों का गठन किया था।

और उक्त बोर्डों ने अपनी सिफारिशें कर दी हैं;

और केन्द्रीय सरकार उक्त सिफारिशों में कुछ उपांतरण करने का प्रस्ताव करती है जो उसके विचार में उक्त सिफारिशों के स्वरूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करते हैं:—

अब, अतः, उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) के परन्तुक के अनुसरण में ऐसे सभी व्यक्तियों को जिनके निम्नलिखित उपांतरणों द्वारा प्रभावित होने की संभावना है, सूचना दी जाती है कि वे उस तारीख से जिसको राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की